वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

---

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता मेसर्स South Eastern Coal Field Limited, Korba Area, जिला कोरबा अंतर्गत कटघोरा वनमण्डल के पाली परिक्षेत्र में राजस्व वन भूमि 81.364हे. बगदेवा भूमिगत खदान का स्थल निरीक्षण दिनांक 07.03.2026 को किया गया ।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हॉ।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

प्रस्तावित बगदेवा भूमिगत कोयला खदान हेतु चयनित कटघोरा वनमण्डल के पाली परिक्षेत्र में राजस्व वन भूमि कुल रकबा 81.364 हे. का स्थल निरीक्षण दिनांक 07.03.2026 को आवेदक संस्थान एस.ई.सी. एल. कोरबा क्षेत्र के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से किया गया, प्रस्ताव में प्रस्तावित भूमिगत खदान हेतु कुल रकबा 81.364 हे. (पाली परिक्षेत्र के ग्राम सिंघाली 27.669 हे., अभयपुर 9.513 हे. एवं ग्राम जवाली 44.182 हे.) प्रस्तावित है, उक्त क्षेत्र 0.4 से कम घनत्व के वनसस्य उपलब्ध है। प्रस्तावित खदान के सीमा से 10 कि.मी. परिधि के अंतर्गत हाथी एवं भालु, तेंदुआ एवं अन्य वन्यप्राणीयों का विचरण होता है। अतः उक्त क्षेत्र में हाथी भालु अन्य वन्यप्राणीयों के संवर्धन हेतु वन्यप्राणी योजना एवं पक्षी संवर्धन योजना तैयार कर क्रियावन्यन किया जाना उचित होगा। प्रस्तावित भूमिगत खदान क्षेत्र में जल संवर्धन कार्य विशेष रूप से किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रस्ताव अनुशंसा सहित संप्रेषित है।

दिनांक: 02/04/2026

(मनोज कुमार पाण्डेय) भा.व.से.
मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर